

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस

पंचायत निगरानी सं. 92/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.विकास अधिकारी, पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर, राजस्थान।		1. ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बावडी तहसील बावडी जिला जोधपुर व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत "ग्राम पंचायत बावडी द्वारा जारी (खसरा संख्या पटवार मण्डल प्रथम एवं द्वितीय 1531/4, 804/2, 804/6, 804/4, 806/3, 806/5, 805/3, 1531/3, 1465/2, 1465/3, 1357/1) मिसल संख्या 696/2019-20 बुक संख्या 02 में अप्रार्थी ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट के पक्ष में जारीसुदा पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.10.2019 को निरस्त करवाने हेतु पेश।

- उपस्थिति 1.प्रार्थीगण की ओर से सरकारी पैरोकार जी.एस.चौहान उपस्थित
2.अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।



निर्णय

दिनांक 08.08.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बावडी जोधपुर की तरफ से अप्रार्थीगण के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत बावडी के पूर्व सरपंच श्री दिनेश कुमार देशलहरा द्वारा मिसल संख्या 696/2019-20 पट्टा रजिस्टर संख्या 02/2019 में अप्रार्थी ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट के पक्ष में जारीसुदा पट्टा संख्या 16 के विरुद्ध पेश किया गया है। उक्त पंचायत निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। ग्राम पंचायत बावडी से मूल रेकॉर्ड भी तलब किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

प्रार्थी विकास अधिकारी बावडी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला जोधपुर के आदेश क्रमांक जिपजो/पंचायत/ जांच/2020-21/1443 दिनांक 17-06-2020 के द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी अनुसार ग्राम पंचायत बावडी के पटवार मण्डल प्रथम एवं द्वितीय के

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

खसरा संख्या 1531/4, 804/2, 804/6, 804/4, 806/3, 806/5, 805/3, 1531/3, 1465/2, 1465/3, 1357/1 में आबादी भूमि पर केवल मात्र नियम 156 के तहत विधि विरुद्ध कुल 160 पट्टे जारी किए गए।"ग्राम पंचायत बावडी में तत्कालीन सरपंच श्री दिनेश कुमार देशलहरा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार नारोलिया के द्वारा जोधपुर से नागौर नेशनल हाईवे पर खुली (खाली) पड़ी आबादी भूमि पर नियम 156 के तहत बड़े भूखण्डों को 160 व्यक्तियों के नाम नियम विरुद्ध पट्टे जारी किये गये है जबकी उक्त भूमि व्यवसायिक (वाणिज्य) निलामी योग्य होने से खाली आबादी भूमि का प्लान बनाकर राज्य सरकार से स्वीकृत होने के पश्चात् भूखण्डों को निलाम किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत बावडी के द्वारा नियम विरुद्ध जारी 160 पट्टों को पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक में अनुमोदन कराने हेतु आवक-जावक रजिस्टर में कांट-छांट कर एवं पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक दिनांक 11.10.2019 को प्रार्थी विकास अधिकारी बावडी के अनुपस्थित होने पर भी बैठक कार्यवाही विवरण जारी करते हुए बैठक रजिस्टर में प्रस्तुत सूची के पीछे ही साधारण सभा की बैठक दिनांक 12.10.2019 को दर्शाकर अपने हस्ताक्षरों से अनुमोदन कर नियम 156 के तहत पत्रांक 1704 दिनांक 14.10.2019 के द्वारा ग्राम पंचायत बावडी द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी किये गये है, जिससे सरकार को राजस्व हानी हुई है।

अन्त में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।



"निष्कर्ष"

हमने प्रस्तुत निगरानी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बावडी के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो 160 पट्टे दिये हैं वे नियम विरुद्ध पंचायत समिति के आवक जावक रजिस्टर में कांट छांट कर तथा उपस्थिति पंजिका में सक्षम अधिकारी के अनुपस्थित होने के बावजूद भी पट्टे जारी किये गये हैं। जिसमें प्रथम दृष्ट्या देखने पर नियम विरुद्ध पट्टे दिये जाना प्रतीत होता है।

मूल रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत कार्यालय में पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन पर प्रभारी अधिकारी द्वारा मार्किंग का अभाव पाया गया। अप्रार्थी ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट द्वारा पट्टा आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाये जाने संबंधी रसीद संख्या व दिनांक का अभाव पाया गया। कार्यालय जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 16996-17001 दिनांक 22.01.2020 की पालना में चार सदस्यीय जांच टीम द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार अप्रार्थी ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट के पट्टा आवेदन में "पटवारी द्वारा आबादी भूमि प्रमाण पत्र का अभाव" बताया गया। उक्त आक्षेपों की स्थिति में भी ग्राम पंचायत द्वारा नियम 156 के तहत पट्टा जारी किया गया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 156 के अनुसार

1. पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरित कर सकेगी:-

(क) जहाँ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और निलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो:

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

(ख) जहाँ कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम उस भूमि के निवर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा: और

(ग) जहाँ तक नियम 144 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो।

2. किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप-रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत के नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी।

3. किसी बाजार या वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षेत्रों के लिए नियत कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी।

चूंकि ग्राम पंचायत बावडी द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टों में राज. पंचायतिराज अधिनियम 1956 के नियम 156 की भी निर्धारित पूर्ण पालना नहीं की गई है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पंचायत बावडी के द्वारा पट्टा रजिस्टर सं. 02/2019, मिसल संख्या 696/2019-20 में बहक ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी बावडी को जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.10.2019 को खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाया जा चुका है।

अतः मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ग्राम पंचायत बावडी को आदेशित किया जाता है कि यदि पट्टाधारी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करें।



आदेश आज दिनांक 08.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर